राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16227/2024

तुलछा राम पुत्र श्री पत राम, उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 2, सर्किट हाउस के पीछे, चूरू, जिला चूरू (राज.)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, कार्मिक विभाग (ए-3/जांच) सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव, वित्त विभाग (राजस्व), सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरू, जिला चूरू।
5. विनोद पूनिया, प्रधान, पंचायत समिति राजगढ़, जिला चूरू।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री जे.एस. भलेरिया
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री कुलदीप सिंह सोलंकी एवं श्री जय पारीक, श्री आईआर चौधरी, एएजी हेतु श्री महावीर प्रसाद पारीक सुश्री मीनल सिंघवी, श्री राजेश पंवार, एएजी हेतु

न्यायाधिपति दिनेश मेहता

निर्णय

रिपोर्टेबल **10/01/2025**

---

1. याचिकाकर्ता ने क्षेत्राधिकार और सक्षमता के आधार पर उप सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 13.05.2024 के आरोप ज्ञापन के माध्यम से प्रारंभ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती दी है।

2. याचिकाकर्ता को संयुक्त सचिव, वित्त द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.10.2021 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, चूरू में लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। उसका नियुक्ति प्राधिकारी, सचिव, वित्त विभाग हैं।

3. याचिकाकर्ता और अमरजीत सिंह, जो पंचायत समिति राजगढ़, चूरू में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत था, के विरुद्ध एक साझा और संयुक्त आरोप-पत्र जारी किया गया है। उक्त अमरजीत सिंह का नियुक्ति प्राधिकारी सचिव, पंचायती राज विभाग था और अनुशासनात्मक प्राधिकारी कार्मिक विभाग था, क्योंकि वह राज्य सेवा में था।

4. यह सूचित करते हुए कि याचिकाकर्ता की सेवाएं राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1984 द्वारा शासित हैं, विद्वान अधिवक्ता श्री भलेरिया ने दावा किया कि याचिकाकर्ता का अनुशासनात्मक प्राधिकारी शासन सचिव, वित्त विभाग हैं।

5. चुनौती का मूल आधार यह है कि चूंकि कार्मिक विभाग न तो याचिकाकर्ता का नियुक्ति प्राधिकारी है और न ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी, इसलिए वह उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री भलेरिया ने तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है, तो वह उसका मूल विभाग अर्थात

वित्त विभाग है, जो कार्यवाही शुरू करने और आरोप-पत्र जारी करने का निर्णय ले सकता है, न कि कार्मिक विभाग।

7. प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित सुश्री मीनल सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि दो व्यक्तियों - याचिकाकर्ता और अमरजीत सिंह की संलिप्तता के कारण, राज्य ने दोनों दोषियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया और चूंकि एक (याचिकाकर्ता) वित्त विभाग से था और दूसरा (अमरजीत सिंह) कार्मिक विभाग से था, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 13.05.2024 के आरोप ज्ञापन के तहत शुरू की गई।

8. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 (जिसे आगे 'सीसीए नियम, 1958' कहा जाएगा) के नियम 18 पर आश्रय करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि कार्मिक विभाग द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना और आरोप-पत्र जारी करना उचित था। उन्होंने सीसीए नियम, 1958 के नियम 18 के पाठ को पढ़ा और तर्क दिया कि यही नियम कार्मिक विभाग को ऐसा करने के लिए सशक्त बनाता है।

9. प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री भलेरिया ने **प्रेम शंकर बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या *1289/1981, 1991 1* डब्ल्यूएलसी *170*** में प्रकाशित मामले में इस न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर आश्रय किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि लगभग

समान परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने यह माना है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा शुरू की जानी आवश्यक है। हालाँकि, एक संयुक्त जाँच अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है और जाँच इस उद्देश्य से की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध साक्ष्यों के एक ही समूह का उपयोग किया जा सके जिससे समय और कार्यवाही के दोहराव से बचा जा सके।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

11. सीसीए नियम, 1958 का नियम 18 इस प्रकार है:-

> **संयुक्त जांच:-**
>
> *(1)* जहां किसी मामले में दो या अधिक सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हों, वहां सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी जो ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों पर सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम हो, यह निर्देश देते हुए आदेश जारी कर सकेगा कि उन सभी के विरुद्ध एक सामान्य कार्यवाही में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
>
> *(2)* ऐसे किसी भी आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे -
>
> > *(i)* वह प्राधिकारी जो ऐसी सामान्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा;
> >
> > *(ii)* नियम *14* में विनिर्दिष्ट शास्तियाँ जिन्हें ऐसा अनुशासनात्मक प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा; और
> >
> > *(iii)* क्या कार्यवाही में नियम *16* से *17* में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।"

12. कुछ तथ्य निर्विवाद हैं कि आरोप पंचायत समिति, राजगढ़ (चूरू) में हुई वित्तीय और अन्य अनियमितताओं के इर्द-गिर्द घूमते हैं, जिसमें प्रासंगिक समय पर याचिकाकर्ता, एक सहायक लेखा अधिकारी और अमरजीत सिंह, एक विकास अधिकारी मिलकर कार्य कर

रहे थे। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता का नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी वित्त विभाग, राजस्थान राज्य है, जबकि अन्य कर्मचारी अमरजीत सिंह का नियुक्ति प्राधिकारी पंचायती राज विभाग और अनुशासनात्मक प्राधिकारी कार्मिक विभाग है।

13. चूँकि, दो अलग-अलग विभागों के व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है, इसलिए बिना किसी संदेह और कानूनी बाधा के सीसीए नियम, 1958 के नियम 18 को लागू किया जा सकता है। क्योंकि सीसीए नियम, 1958 के नियम 18 में यह प्रावधान है कि जब दो या दो से अधिक सरकारी कर्मचारी किसी अपराध या कदाचार में संलिप्त हों, तो राज्य सरकार या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी <u>ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों</u> पर सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति लगाने के लिए एक आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि उन सभी के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

14. सीसीए नियम, 1958 के नियम 18 का उप-नियम (2) यह निर्धारित करता है कि ऐसे आदेश में स्पष्ट रूप से उस प्राधिकारी का उल्लेख किया जाएगा, जो संयुक्त कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा और ऐसे प्राधिकारी कौनसी शास्तियाँ अधिरोपित कर सकते हैं, जिसमें यह तथ्य भी शामिल होगा कि क्या सीसीए नियम, 1958 के नियम 16 और 17 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है या नहीं।

15. इस न्यायालय की राय में, नियम 18 का उद्देश्य जांच को सुव्यवस्थित करना और अनुशासनात्मक कार्यवाही में तालमेल सुनिश्चित करना है, ताकि समय और संसाधनों की

बर्बादी को रोका जा सके और समान या साझा अपराध के लिए दो अलग-अलग निष्कर्ष और दंड की संभावना को भी टाला जा सके।

16. इस न्यायालय के अनुसार, केवल इसलिए कि कार्मिक विभाग अमरजीत सिंह नामक एक कर्मचारी का अनुशासनात्मक प्राधिकारी है, राज्य सरकार और कार्मिक विभाग के सचिव, किसी सरकारी कर्मचारी पर कार्यवाही शुरू करने और उसे जारी रखने के साथ-साथ उस पर जुर्माना लगाने का अधिकार अपने हाथ में नहीं ले सकते, जो अन्यथा उनके प्रशासनिक छत्र और पर्यवेक्षी नियंत्रण के अधीन नहीं है।

17. उपरोक्त दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा प्रेम शंकर (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय से पुष्ट होता है; जिसके अनुच्छेद संख्या 7 और 8 को त्वरित संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

> *"7.…………………*
>
> *……………………*
>
> सी.सी.ए. नियमों के नियम *18* के अवलोकन से पता चलेगा कि यह केवल उस मामले में आकर्षित होता है या आकर्षित हो सकता है जहां आने वाले साक्ष्य समान हैं और जिन घटना/घटनाओं के संबंध में जांच की जानी है वे लगभग समान हैं। वर्तमान मामले में जांच बूंदी के विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के सिविल वाद संख्या *17/72* के रेलवे पार्सल के नुकसान के संबंध में थी और इसलिए, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि यह ऐसा मामला था जहां संयुक्त जांच शुरू की जा सकती थी। सी.सी.ए. नियमों के नियम *18* में प्रावधान है कि जब किसी मामले में दो या अधिक सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं, तो सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी जो ऐसे

सभी सरकारी कर्मचारियों पर सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति लगाने में सक्षम है, यह निर्देश देते हुए आदेश जारी कर सकता है कि उन सभी के खिलाफ एक सामान्य कार्यवाही में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन नियम *18* का उप-नियम *(2)* यह स्पष्ट करता है कि ऐसा कोई भी आदेश निम्नलिखित निर्दिष्ट करेगा*:* -

(i) वह प्राधिकारी जो ऐसी सामान्य कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा*;*

(ii) नियम *14* में विनिर्दिष्ट शास्तियाँ जिन्हें ऐसा अनुशासनात्मक प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा*;* और

(iii) क्या कार्यवाही में नियम *16* से *17* में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

8. उपरोक्त आदेश सी.सी.ए. नियमों के नियम *18* को आकर्षित करने के लिए आवश्यक हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक *1* मई *1979* के आदेश, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बूंदी को सूचित किया गया है कि उन्हें निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा याचिकाकर्ता और बहादुर सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की जा सकती है, के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसमें यह विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है कि नियम *14* में विनिर्दिष्ट शास्तियां क्या हैं और नियम *16* या *17* के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए या नहीं, राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश में इसका अभाव है और यह सी.सी.ए. नियमों के नियम *18* के तहत यथा अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि इससे याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, निर्विवाद रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बूंदी अनुशासनात्मक प्राधिकारी थे। सामान्यतः सी.सी.ए. नियमों के नियम *18* को ऐसी स्थिति में आकर्षित किया जाएगा जहां

सरकारी कर्मचारियों के दो अनुशासनात्मक प्राधिकारी हों लेकिन जांच की प्रकृति ऐसी हो कि आरोप समरूप हों, वे एक ही विषय-वस्तु से संबंधित हों, प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य समान हों और इसलिए, ऐसा प्राधिकारी जो सी.सी.ए. नियमों के नियम *14* या *17* के तहत दंड लगाने में सक्षम हो, जैसा भी मामला हो, संयुक्त कार्यवाही के उद्देश्य से अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन साथ ही, ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही दो अनुशासनात्मक प्राधिकारी हों, उनमें से किसी एक को सामान्य जांच के उद्देश्य से नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है और उस स्थिति में जांच करने के बाद जांच अधिकारी को उस अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जो सी.सी.ए. नियमों के नियम *14* और *15*, जैसा भी मामला हो, के तहत शास्तियाँ लगाने के लिए सक्षम होगा। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के तहत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बूंदी को एक संयुक्त जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिन्होंने जांच की और उसके बाद, राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बूंदी के साथ-साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोटा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जहां तक उनके न्यायाधीपत्य के अधीन कर्मचारियों अर्थात याचिकाकर्ता और बहादुर सिंह का संबंध है। जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने सेवा से हटाने की शास्ति अधिरोपित की, जबकि जहाँ तक अनुशासनात्मक प्राधिकारी (जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोटा) का संबंध है उन्होंने बहादुर सिंह पर परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित की। अतः, जहां तक विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि सी.सी.ए. नियमों के नियम *18* का उल्लंघन हुआ है, उपरोक्त अनुसार, कोई गुण-दोष नहीं रखता है।"

18. नियम 18 के अवलोकन से पता चलता है कि यह प्रावधान करता है कि सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी, जो ऐसे सभी कर्मचारियों पर सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो, उन सभी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में आदेश जारी कर सकता है। ऐसे आदेश में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि संयुक्त कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कौन सा प्राधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा, साथ ही सीसीए नियम, 1958 के नियम 18 के उप-नियम (2) के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई के दायरे का भी निरूपण होना चाहिए।

19. किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ उत्पन्न होता है और जिसे सुलझाया जाना आवश्यक है, वह यह है कि सी.सी.ए. नियम, 1958 के नियम 18 के तहत आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होगा?

20. न तो सी.सी.ए. नियम, 1958 के नियम 18 में स्पष्ट उत्तर दिया गया है और न ही कोई सरकारी आदेश/अधिसूचना आदि संज्ञान में लाई गई है, जो इस पहलू पर कुछ प्रकाश डाल सके या मार्गदर्शन प्रदान कर सके।

21. उत्तर की खोज के प्रयोजन से, इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (2) और (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के माननीय राज्यपाल द्वारा जारी राजस्थान कार्य संचालन नियम का गहन अध्ययन किया।

22. राजस्थान कार्य संचालन नियम के नियम 21 के अनुसार, सभी विभागों के लिए समान मदों से संबंधित कार्य का निपटान परिशिष्ट-बी में निर्दिष्ट तरीके से किया जाना है। सेवाओं से संबंधित सभी निर्णय, जिनमें अनुशासनात्मक मामले, निलंबन और अनुशासनात्मक

कार्यवाही शुरू करना शामिल है, संबंधित विभाग के उप सचिव या सचिव, जैसा भी मामला हो, द्वारा लिए जाने आवश्यक हैं।

23. इस प्रकार, याचिकाकर्ता, जिसका मूल विभाग वित्त विभाग है, के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई (यदि कोई हो) वित्त विभाग के सचिव द्वारा की जा सकती है, कार्मिक विभाग द्वारा नहीं। इसके अलावा, चूँकि कथित अनियमितताओं में शामिल अन्य कर्मचारी, अमरजीत सिंह, राज्य सेवा से हैं और उनका मूल विभाग कार्मिक विभाग है, इसलिए कार्मिक विभाग के सचिव ही उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत हैं।

24. यदि सी.सी.ए. नियम, 1958 के नियम 18 को ध्यान में रखा जाए, तो इसमें प्रावधान है कि ऐसे मामलों में, राज्य सरकार या दोनों कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सी.सी.ए. नियम, 1958 के नियम 18 के तहत आदेश पारित कर सकता है।

25. सीसीए नियम, 1958 के नियम 18 के अंतर्गत ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है, इस प्रश्न का सीधा उत्तर सीसीए नियम, 1958 के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, राजस्थान कार्य संचालन नियम के अनुसार, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को अन्य प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय का कार्य सौंपा गया है। वर्तमान जैसे मामलों में, जब दो अपचारी जिनके अनुशासनात्मक प्राधिकारी अलग-अलग विभागों के अधिकारी या सचिव हों, तो केवल

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के मुख्य सचिव या अन्य सक्षम प्राधिकारी ही सीसीए नियम, 1958 के नियम 18 के अंतर्गत आदेश पारित कर सकता है।

26. यह न्यायालय शीघ्रता से यह जोड़ना चाहता है कि ऐसे मामलों में, जिस प्रकार से साधारण आरोप-पत्र जारी किया गया है, वह पर्याप्त नहीं है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के कार्यालय का सक्षम प्राधिकारी या तो स्वयं कार्यवाही कर सकता है या एक आदेश पारित कर सकता है जिसमें उस प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा जो संयुक्त कार्यवाही के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा; कौन सीसीए नियम, 1958 के नियम 14 में निर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा और यह भी उल्लेख करेगा कि क्या की जाने वाली कार्यवाही में सीसीए नियम, 1958 के नियम 16 और 17 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है या नहीं।

27. ऐसा आदेश पारित होने के बाद ही, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त प्राधिकारी मामले में आगे बढ़ सकता है और उन सभी अपराधियों को एक संयुक्त आरोप-पत्र जारी कर सकता है जो एक ही मामले या समान और अंतर्संबंधित अनियमितताओं में शामिल हैं, जिनके विरुद्ध राज्य समान या संयुक्त कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखता है। ऐसा अनुशासनात्मक प्राधिकारी (यदि वांछित हो), तत्पश्चात समान और संयुक्त जाँच करने के लिए एक जाँच अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

28. पूर्वगामी चर्चा के परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है; याचिकाकर्ता के संबंध में दिनांक 13.05.2024 का आक्षेपित आरोप-पत्र एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

29. यह कहना अनावश्यक होगा कि या तो वित्त विभाग में याचिकाकर्ता का अनुशासनात्मक प्राधिकारी कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र होगा (यदि पहले से नहीं की गई है) या मुख्य सचिव या प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के प्रभारी सचिव सीसीए नियम, 1958 के नियम 18 के तहत स्वतः एक आदेश पारित करेंगे, संयुक्त अनुशासनात्मक प्राधिकारी की नियुक्ति करेंगे (यदि ऐसा वांछित हो) और अन्य निर्देश जारी करेंगे जैसा कि उचित समझा जाए, जैसा कि सीसीए नियम, 1958 के नियम 18 के उप-नियम (2) के तहत प्रावधानित है।

30. तदनुसार, स्थगन आवेदन भी निस्तारित किया जाता है।

(दिनेश मेहता), जे

6-रक्षा/-

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate